



# जीएसटी को सुगमतापूर्वक लागू करने के लिए पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार ने कई उपकरणों को समाप्त किया

Posted On: 07 JUN 2017 3:03PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार ने पिछले तीन आम बजट 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में धीरे-धीरे वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले कई उपकरणों को समाप्त किया जिससे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 से सुगमतापूर्वक लागू करने की जमीन तैयार की जा सके। केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कई उपकरणों को समाप्त करने का कदम उठाया जिससे कई वस्तुओं एवं सेवाओं में जीएसटी के लिए विभिन्न कर स्तरों में इसे आसानी से समायोजित किया जा सके।

केंद्र सरकार ने अपने आम बजट 2015-16 में शिक्षा उपकरण समाप्त किया जिसमें कर योग्य सेवाओं पर लगने वाला माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकरण शामिल है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकरण और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकरण से छूट दी।

अपने आम बजट 2016-17 में केंद्र सरकार ने सीमेंट, गत्ते पर उपकरण समाप्त किया। तीन उपकरणों (श्रमिक कल्याण उपकरण अधिनियम 1976 में संशोधन कर लौह अयस्क खानों, मैंगनीज अयस्क खानों और क्रोम अयस्क खानों पर उपकरण) समाप्त किया। तंबाकू उपकरण अधिनियम 1975 में संशोधन कर तंबाकू उपकरण और चलचित्र श्रमिक कल्याण उपकरण अधिनियम 1981 में संशोधन कर चलचित्र श्रमिक कल्याण उपकरण समाप्त किया।

केंद्र सरकार ने अपने आम बजट 2017-18 में अनुसंधान एवं विकास उपकरण अधिनियम में संशोधन कर अनुसंधान और विकास उपकरण समाप्त किया।

कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 के जरिए निम्नलिखित उपकरणों को समाप्त किया गया। हालांकि इसे जीएसटी लागू करने की तारीख के साथ ही लागू किया जाएगा।

1. रबर अधिनियम 1947 - रबर पर उपकरण
2. उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम 1951 - ऑटोमोबाइल पर उपकरण
3. चाय अधिनियम 1953 - चाय पर उपकरण
4. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 - कोयला पर उपकरण
5. बीड़ी कामगार कल्याण उपकरण अधिनियम 1971 - बीड़ी पर उपकरण
6. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकरण अधिनियम 1977 - कुछ उद्योगों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल पर लगाया गया उपकरण
7. चीनी उपकरण अधिनियम 1982, चीनी विकास निधि अधिनियम 1982 - चीनी पर उपकरण
8. जूट उत्पादक उपकरण अधिनियम 1983 - जूट से निर्मित वस्तुओं या उत्पादन या जूट के हिस्से में उपकरण
9. वित्त (2) अधिनियम 2004 - उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं पर शिक्षा उपकरण
10. वित्त अधिनियम, 2007 - उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकरण
11. वित्त अधिनियम 2010 - स्वच्छ ऊर्जा उपकरण
12. वित्त अधिनियम 2015 - स्वच्छ भारत उपकरण
13. वित्त अधिनियम 2016 - बुनियादी ढांचा उपकरण और कृषि कल्याण उपकरण

हालांकि, जीएसटी लागू होने के बाद भी निम्न उपकरण जारी रहेंगे क्योंकि ये सीमा शुल्क या ऐसे सामान से संबंधित हैं जो जीएसटी के तहत नहीं आते हैं:

1. वित्त (2) अधिनियम 2004 - आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकरण
2. वित्त अधिनियम, 2007 - आयातित वस्तुओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकरण
3. तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 के तहत कच्चे पेट्रोलियम तेल पर उपकरण
4. मोटर स्पिरिट (सड़क उपकरण) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
5. हाई स्पीड डीजल ऑयल (सड़क उपकरण) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
6. मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
7. तंबाकू और तंबाकू उत्पाद और कच्चे पेट्रोलियम तेल पर एनसीसीडी।

\*\*\*

वीके/एम/एसके -1648

(Release ID: 1492072) Visitor Counter : 7

